28

समक्ष : राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

निग 9070 - III-17

विविध /2016

1. छोटेलाल तनय ठाकुरदीन पटैल
2. शोभानाथ तनय आयोध्या प्रसाद पटैल निवासीगण ग्राम भलुआ तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र.

..............आवेदकगण

विरूद्ध

बैजनाथ मृतक वारिसान–

अ –पीताम्बर प्रसाद पटैल

ब–नन्दलाल पटैल

स–श्रीमती इन्द्रबसुआ पत्नी शिवराम पटैल निवासी ग्राम ढनगन तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र.

द–श्री सनत कुमार पिता सत्यशरण निवासी ग्राम खैरा कनकेशर तहसील मउंगज जिला रीवा म.प्रं.।

2– सरजू मृतक द्वारा वारिसान–

क– रामसिया पटैल

ख–भैयालाल पटैल

ग–हरिप्रसाद पटेल

घ– श्रीमती सुगनी पुत्री सरजू एंव पत्नी रामखिलावन पटैल सा. ढनगन तहसील मउगज जिला रीवा म.प्र. ।

.............निगरानी के मूल पक्षकार

1. मुस0 नोहरी विधवा यश्नारायण मृतक द्वारा वारिसान–
   1. श्रीमती कल्ली पुत्री नोहरी एंव पति राममणि पटैल सा. खेरा कनकेशर तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र.।
   2. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री नोहरी एंव पत्नी त्रिवेणी ग्राम बसेडा तहसील सिरमोर जिला रीवा म.प्र. ।

..................निगरानी मे अनावेदकगण

श्री ...... सिंह जादौन द्वारा आज दि. 31.3.17 को प्रस्तुत

31.3.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र वास्ते संशोधन करने वावत धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है। :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध 9070–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संशोधन करने बाबत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मूल प्रकरण कमांक निगरानी 1678–चार/08 में पारित आदेश दिनांक 21.3.17 में पूर्व दिनांक 1.8.16 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 व्यवहार प्रकिया संहिता सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रकरण में छोटेलाल तनय ठाकुर दीन पटेल एवं शोभनाथ तनय अयोध्या प्रसाद पटेल निवासीगण ग्राम भलुआ तहसील मउगंज जिला रीवा को अनावेदक के रूप में संयोजित कर पक्षकार बनाया जावे। 2– प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 8.9.2016 को स्वीकार कर अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने के आदेश देते हुये लाल स्याई से निगरानी मेमों में संशोधन करने के आदेश भी दिये गये थे, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा संशोधन	

नहीं किये जाने के कारण आदेश पारित करते समय उनका नाम आदेश में अंकित नहीं हुआ है ।

3— अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदक के रूप में कमांक 3, 4 नाम बढ़ाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य